न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु.खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 884–।।/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली जिला सिंगरोली – प्रकरण क्रमांक 820 अ 74/2012–13

1– रसिक विहारी पुत्र मुरलीधर सोनी,
निवासी मनियारी तहसील व जिला सिंगरोली —— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती प्रेमलता पत्नि संजयसिंह
ग्राम जयंत तहसील व जिला सिंगरोली ———अनावेदक

(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – आवेदक)
(श्री डी0एस0चौहान अभिभाषक – अनावेदक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 28 फरवरी, 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 820 अ 74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–1–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक व्दारा तहसीलदार सिंगरोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम गनियारी स्थित खसरा नंबर 197/1 ख रकबा 0.010 है0 तथा 197/1(3) रकबा 0.010 है0 एंव 197/2ख रकबा 0.018 है0 भूमि उसके स्वामित्व की है जिस पर राधेश्याम सोनी उर्फ फौजी सोनी तथा रामकुमार साहू ने जबरन मकान निर्माण करने की नीयत से निर्माण सामग्री आदि डाल दिये है तथा मकान निर्माण से रोकने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है, कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 55 अ 70/12–13 पंजीबद्व किया एंव आवेदक को सूचना पत्र जारी किया, जिस पर तहसीलदार के समक्ष आवेदक उपस्थित हुआ एंव उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की। समय दिये जाने के उपरांत वह प्रकरण में पैरबी

करने हेतु अनुपस्थित रहा, फलतः उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई। तहसीलदार सिंगरोली ने जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 20.2.2013 पारित किया तथा अनावेदिका की भूमि के अंशभाग **60X45** वर्ग कड़ी पर प्रेमलता पत्नि रसिक विहारी सोनी एंव रामकुमार साहू का अतिक्रमण पाने से बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश का पालन न करने एंव अतिक्रमण न हटाने पर तहसीलदार सिंगरोली ने आवेदक एंव उसकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता को जेल भेजे जाने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली को प्रस्तुत किये, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20.9.13 पारित किया एंव आवेदक तथा उसकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता को जेल सुपुर्द करने के बारंट जारी करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्व श्रीमती प्रेमलता सोनी पत्नि रसिक बिहारी सोनी ने धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने सॅशोधित आदेश दिनांक 28–1–14 पारित किया एंव जेल वारंट से श्रीमती प्रेमलता सोनी पत्नि रसिक विहारी सोनी का नाम कम करने एंव आवेदक राधेश्याम सोनी उर्फ रसिक विहारी सोनी को पन्द्रह दिवस तक सिविल कारागार में भेजने के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक अथवा उसकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये गये है अपितु अनावेदक क्र–1 के रूप में राधेश्याम उर्फ फौजी सोनी को पक्षकार बनाया गया है जबकि आवेदक का नाम रसिक विहारी सोनी पुत्र मुरलीधर सोनी है। इस प्रकार आवेदक एंव उसकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता के विरूद्व संहिता की धारा 250 या 250 (क) के अंतर्गत पारित आदेश निरस्त किया जावे।

महिला के विरूद्व सिविल जेल भेजने का आदेश नहीं दिया जा सकता, फिर भी उसे जेल भेजने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व धारा 3 (क) का आवेदन प्रेमलता सोनी ने

दिया इस पर जेल वारन्ट से प्रेमलता सोनी का नाम कम करने का आदेश तो दिया, परन्तु आवेदक को सिविल जेल भेजने का आदेश कायम रखा। आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार न्यायालय में आवेदक प्रकरण में पक्षकार नहीं था उसके विरूद्व किसी प्रकार का अवैध कब्जा करने का आदेश नहीं था एंव बेदखली का आदेश भी नहीं था। उन्होंने बताया कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन में हेमलता सोनी व्दारा अवैध कब्जा करने का प्रतिवेदन दिया था । रसिक विहारी सोनी के मौके पर उपस्थित होने का लेख है – कब्जा उसके व्दारा किया, इसका उल्लेख नहीं है उसके व्दारा सीमांकन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने सं इंकार किया है। राधेश्याम सोनी उर्फ रसिक विहारी सोनी के नाम पर जेल वारन्ट भेजा है जो गलत है। राधेश्याम सोनी उर्फ रसिक विहारी सोनी उर्फ फौजी एक ही व्यक्ति है इस संबंध में कोई प्रमाण अनावेदक अभिभाषक व्दारा नहीं दिया जा सका है। तहसीलदार का आदेश प्रेमलता सोनी के विरूद्व था राधेश्याम सोनी उर्फ फौजी सोनी के विरूद्व नहीं था। फिर भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा सिविल जेल की कार्यवाही राधेश्याम सोनी उर्फ रसिक विहारी सोनी के विरूद्व करने का आदेश देना गलत था जिसे निरस्त किया जावे एंव निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्क में बताया कि जो व्यक्ति रसिक विहारी है उसीका दूसरा नाम राधेश्याम सोनी है अर्थात अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है, उसकी पत्नी प्रेमलता सोनी है उसने भी अतिक्रमण किया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी ने राधेश्याम सोनी उर्फ रसिक बिहारी सोनी को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जो उचित है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि अनावेदक व्दारा मूल दावे में पक्षकार के रूप में राधेश्याम सोनी उर्फ फौजी सोनी निवासी ग्राम गनियारी अंकित किया है किन्तु तहसीलदार ने जब अनावेदिका की भूमि पर कब्जे के संबंध में जांच कराई, राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 24–11–2012 एंव पटवारी हलका नंबर 51 क्षेत्र बैढ़न ने स्थल की जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 4–2–13 प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन में लिखा है कि –

" उक्त भूमियों का सीमांकन किया गया जिसमें उक्त आराजी के अंश भाग रकबा 60X45 वर्ग कड़ी यानी 2700 वर्ग कटटी पर प्रेमलता पत्नि रसिक विहारी सोनी के व्दारा अनाधिकृत रूप से टीन शेड व वाउन्ड्री वाल का निर्माण किया गया है। वक्त सीमांकन मौके से रसिक विहारी सोनी मौजूद थे, हस्ताक्षर करने से इंकार किया। "

इस जांच प्रतिवेदन से यह प्रकट होता है कि सीमांकन के समय प्रेमलता सोनी पत्नी रसिक बिहारी सेनी द्वारा ~~अधिकृत~~ अनधिकृत रूप से टीनशेड तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करना पाया गया तथा सीमांकन के समय रसिक बिहारी सोनी का मौजूद होना पाया गया, परन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता है कि अनाधिकृत निर्माण रसिक बिहारी सोनी द्वारा किया गया। केवल सीमांकन के समय मौके पर मौजूद होने से अतिक्रामक रसिक बिहारी सोनी को मानना उचित नहीं था। रसिक बिहारी सोनी, राधेश्याम सोनी तथा फोजी सोनी एक ही व्यक्ति है, इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार की जांच पश्चात निष्कर्ष भी प्रकरण में स्पष्ट नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 820/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28–1–2014 निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर